न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

क्रमांक / वि.अ. / 12 / 15 / नागौर

विभागीय अपील द्वारा श्री सुखराम तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक उप तहसील सांजू विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर नागौर दिनांक 04–05–2015

उपस्थितः– श्री सुखराम, तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक उप तहसील सांजू

श्री लेखू मंघानी, अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय

दिनांकः– 17.5.2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 04–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 20.10.2014 को एक ज्ञापन जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या एक :–

आप श्री सुखराम वरिष्ठ लिपिक, उप तहसील कार्यालय सांजू (तहसील डेगाना) में कार्यरत रहते हुए अपने ही उच्च अधिकारी, नायब तहसीलदार सांजू, तहसीलदार डेगाना / कार्यालयाध्यक्ष से अशिष्ट / अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार करने एवं राजकार्य में बाधा पहंचाने के लिए उत्तरदायी है कि वर्ष 2013 के दौरान श्री श्यामसुन्दर व्यास, तत्कालीन नायब तहसीलदार दिनांक 8–7–2013 को जब तहसील कार्यालय डेगाना में श्री शिवकिशन सोनी तत्कालीन तहसीलदार, डेगाना के समक्ष बैठकर सरकारी कार्य निष्पादित कर रहे थे उस वक्त में आपने उत्तेजित होकर अभद्रता से झगड़ालू प्रवृति का व्यवहार किया तथा श्री श्यामसुन्दर व्यास तत्कालीन नायब तहसीलदार, सांजू की शर्ट की कॉलर पकड़कर खींची एवं बोले कि ऐसे कॉलर पकड़कर अधर में उठाकर बाहर ले जाऊंगा व अफसराई करना भूला दूंगा, तेरे जैसे कई नायब तहसीलदार देखे है। आप तहसील कार्यालय डेगाना की इजलास में खड़े थे एवं वहां पर खड़े–खड़े तत्कालीन नायब

तहसीलदार सांजू (श्री श्यामसुन्दर व्यास) से झगड़ने लगे एवं आप द्वारा राजकार्य में बाधा पहुंचायी गयी। राजकार्य दौरान इजलास में उत्पात करने के लिए उत्तरदायी है।

श्री श्यामसुन्दर व्यास, तत्कालीन नायब तहसीलदार सांजू के प्रति आपके इस अभद्रतापूर्ण व्यवहार से आहत होकर तत्कालीन तहसीलदार डेगाना श्री शिवकिशन सोनी ने तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय को दूरभाष पर अवगत कराया एवं तहसील कार्यालय डेगाना के आदेश क्रमांक 313 दिनांक 8–7–2013 के द्वारा आपको तत्काल ही जिला मुख्यालय पर उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया। किसी भी कार्मिक का अपने उच्च अधिकारी के साथ शिष्टाचार एवं शालीनता का व्यवहार होना चाहिए वहीं आपका आचरण शालीनता के बजाय अभद्रतापूर्ण प्रवृति का व्यवहार पाया गया है। उपखण्ड अधिकारी, डेगाना की जांच रिपोर्ट 945 दिनांक 16–7–2014 के अनुसार तथा उनके समक्ष गवाहों के अनुसार भी आपका उपरोक्तानुसार व्यवहार, शालीनता के बजाय अभद्रतापूर्ण प्रवृति का कृत्य पाया गया है। अतः राजकार्य के दौरान तहसीलदार डेगाना की इजलास में उत्पात करने तथा अधिकारियों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार एवं आचरण हीनता कृत्य के लिए आप स्वयं उत्तरदायी है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इन्होंने निर्धारित अवधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों का इन्कार किया इसलिए जिला कलक्टर, नागौर ने अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए इसके लिए तारीख 22–4–2015 निश्चित की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुए। जिला कलक्टर, नागौर ने अपीलान्ट को सुनने के पश्चात दिनांक 04–05–2015 को आदेश पारित किया जिसमें अपीलान्ट को इस मामले में दोषी मानकर उनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया। इस दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, नागौर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, नागौर का आदेश दिनांक 04–05–2015 विधिविरूद्ध पारित किया गया है।

अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अपीलांट ने आरोप से संबंधित अभिलेख का अवलोकन कराने एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाने हेतु जिला कलक्टर, नागौर को पत्र लिखा जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसके पश्चात भी अपीलांट ने श्रीमान् जिला कलक्टर नागौर के निर्देशों की पालना कर अपीलांट ने निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर आरोपों का खण्डन किया और साररूप में यह निवेदन किया कि आरोप में वर्णित कथन विधिविरूद्ध है जिसके लिए अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जावे। अपीलांट द्वारा अन्त में उनके विरूद्ध विचाराधीन विभागीय जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया। जिला कलक्टर, नागौर ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना एवं अपीलांट की सुनवाई की मात्र पूर्ति कर दिनांक 4–5–2015 को आदेश पारित कर अपीलांट की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

बहस के दौरान अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर, नागौर ने दण्डादेश पारित करने से पूर्व सी.सी.ए. नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध हो आरोप लगाया गया है वह अस्पष्ट व अपूर्ण है। आरोप पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलांट ने किन–किन कर्मचारियों के सामने नायब तहसीलदार, के साथ अभद्र व्यवहार किया था तथा कौन से समय पर एवं किस समय नायब तहसीलदार से अभद्र व्यवहार किया। अपीलंट के विरूद्ध आरोप कार्य के प्रति लापरवाही तथा राजकार्य के प्रति उदासीनता का कोई आरोप नहीं है। जिला कलक्टर, नागौर का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। दण्डादेश में आरोप को प्रमाणित मानने व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दुओं व विधिक प्रावधानों को नहीं मानने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया इसलिए उक्त आदेश निरस्तनीय है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध जो कार्यवाही की गई है वह विधिविरूद्ध है। उक्त मामला 2013 का है जिसके बारे में अपीलांट को दिनांक 20–10–2015 को आरोप पत्र दिया गया जबकि सम्पूर्ण कार्यवाही घटना के एक वर्ष पश्चात प्रारम्भ की गई है विलम्ब से की गई कार्यवाही को विभिन्न उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत माना है और ऐसे दण्डारेशों को निरस्त किया है चूंकि अपीलांट के विरूद्ध घटना एक वर्ष पश्चात आरोप पत्र दिये गये है जो प्रारम्भ से ही शून्य होकर निरस्तनीय है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध तहसीलदार, डेगाना द्वारा जिला कलक्टर, नागौर को पत्र लिखने के आधार पर प्राथमिक जांच करवाई गई उक्त प्राथमिक जांच उपखण्ड अधिकारी, डेगाना ने की तथा अपीलांट की

अनुपस्थिति में सम्पूर्ण जांच सम्पन्न की गई। उक्त जांच में अपीलांट को सुना नहीं गया और न ही बयान लिये गये। जिस नायब तहसीलदार, सांजू श्री श्याम सुन्दर व्यास ने अपीलांट के विरूद्ध शिकायत की थी उनके बयान भी जांच में नहीं लिये गये। तत्कालीन तहसीलदार, डेगाना के भी बयान नहीं लिये गये। जिला कलक्टर, नागौर द्वारा जो दण्डादेश पारित किया है वह केवल उपखण्ड अधिकारी, डेगाना की इस जांच के आधार पर पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष अपीलांट ने आरोप का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, तत्पश्चात अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध किया। जिला कलक्टर नागौर ने अपीलांट की सुनवाई की कार्यवाही तो की परन्तु अपीलांट को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया मात्र चेम्बर में बुलाकर सुनवाई की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 सी के अन्तर्गत अनुशासनिक अधिकारी का यह दायित्व है कि दण्डादेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जावे। जिला कलक्टर द्वारा आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सन् 2005(3)सी.डी.आर. पृष्ठ संख्या 1982 जगदीश चन्द्र बनाम सरकार तथा राजेन्द्र दत्त शर्मा बनाम सरकार के प्रकरण में नियम 17 के तहत कार्यवाही को अपचारी अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक माना है तथा यह भी सिद्धान्त पारित किया है कि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो भी तथ्य उठाये गये है उसका उल्लेख निर्णय में किया जाना चाहिए। अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ए.आई.आर. 1968 एस.सी. पृष्ठ संख्या 240 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सिद्धान्तों के अनुसार जिला कलक्टर, नागौर का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलांट के विरूद्ध आरोप यह है कि अपीलांट ने नायब तहसीलदार, सांजू तहसील डेगाना से अशिष्ट/अमर्यादित अशोभनीय व्यवहार किया गया एवं राजकार्य में बाधा पहुंचायी। इस बारे में कथन है कि आरोप पत्र में जिस घटना का उल्लेख किया गया है वह घटना हुई ही नहीं क्योंकि नायब तहसीलदार, सांजू श्री श्याम सुन्दर व्यास उनसे दुर्भावना रखते थे। इसलिए उन्होंने झूठी शिकायत की। जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष अपीलांट ने स्पष्ट कर दिया था कि अपीलांट द्वारा उत्तेजित होकर शर्ट की कॉलर पकड़कर खींचने व किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार जैसा कोई कृत्य नायब तहसीलदार

से नहीं किया। उपखण्ड अधिकारी, डेगाना ने जब उक्त प्रकरण की जांचकी तो उन्होंने उप तहसील कार्यालय सांजू एवं तहसील डेगाना में कार्यरत कई कर्मचारियों के बयान लिये। श्री खींवराज बाना पुत्र श्री लक्ष्मणराम जाट तहसील कार्यालय डेगाना में कार्यरत कर्मचारी ने अपने बयानों में आरोप पत्र में वर्णित घटना के घटित होने से इन्कार किया उन्होंने अपने बयानों मेंकेवल यही कहा कि ज बवह तहसीलदार डेगाना के कमरे में गया तब किसी कागजों पर हस्ताक्षर को लेकर सुखराम व नायब तहसीलदार से बात चल रही थी। लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं थी। इस प्रकार सर्वेश्वर चौधरी पुत्र गंगाराम चौधरी जो कि तहसील कार्यालय में कार्यरत है उन्होंने भी अपने बयानों में अपीलांट सुखराम का व्यवहार अच्छा बताया तथा नायब तहसीलदार से श्री सुखराम द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की घटना से इन्कार किया। तहसील डेगाना में कार्यरत लक्ष्मण सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह ने अपने बयानों में यह माना है कि सुखराम का व्यवहार अच्छा है एवं उन्होंने भी नायब तहसीलदार से अभद्र व्यवहार की घटना को देखने से इन्कार किया। इस प्रकार तहसील कार्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों ने आरोप पत्र में वर्णित घटना घटित होने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। उपखण्ड अधिकारी, डेगाना नेअपनी जांच रिपोर्ट में उक्त बयानों के आधार पर अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया है कि तत्समय उप तहसील कार्यलय सांजू में पद स्थापित कनिष्ठ लिपिक एवं तहसील कार्यालय डेगाना में पद स्थापित कार्मिकों के बयानों से जाहिर होता है कि श्री सुखराम का आचरण संतोषप्रद रहा है।

उनका यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अपीलांट का आचरण संतोषप्रद माना है फिर भी उन्होंने केवल मात्र तहसीलदार डेगाना के पत्र के आधार पर अपीलांट को अभद्रता का दोषीमाना और जिला कलक्टर नागौर ने उपखण्ड अधिकारी, डेगाना की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दण्डित किया है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि तहसीलदार, डेगाना को अपने स्तर पर वरिष्ठ लिपिक कर्मचारी को कार्यमुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि जब अपीलांट का पदस्थापन उपतहसील सांजू में किया गया था तो अपीलांट को वरिष्ठ लिपिक के स्तर का कोई कार्य कई महिनों तक नहीं संभलाया गया। अपीलांट ने इस विषय पर उच्चाधिकारियों से सम्पर्क कर नायब तहसीलदार, सांजू की शिकायत की थी जिसके कारण नायब तहसीलदार सांजू अपीलांट से रंजिश रखते थे। नायब तहसीलदार सांजू मुकेश कीलक कनिष्ठ लिपिक से सम्पूर्ण कार्य करवाते थे। मुकेश कीलक तत्कालीन नायब तहसीलदार सांजू के प्रभाव में थे इसलिए जांच में उन्होंने यह बयान दिया कि अपीलांट ने

चार्ज अनुसार चार्ज ग्रहण नहीं किया एवं उप तहसील सांजू में कार्यरत होने के दौरान कोई कार्य नहीं किया जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट को वरिष्ठ लिपिक स्तर का कोई कार्य चार्ज में दिया ही नहीं गया था। अपीलांट के विरूद्ध लगाया गया आरोप किसी भी स्तर पर उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर श्रीमान् जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–05–2015 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, नागौर द्वारा अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में तथ्यात्थमक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट द्वारा आरोप से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करने एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के समक्ष कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा अपील के साथ ऐसे किसी आवेदन पत्र की प्रति भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं की जाने से भी ऐसा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के तथ्य की पुष्टि होती है। अपीलाधीन आदेश राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के प्रावधानों की पालना करते हुए प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए पारित किया गया है। आरोप पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अपीलांट द्वारा तत्कालीन तहसीलदार के सामने नायब तहसीलदार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। किसी भी कर्मचारी द्वारा अपने उच्चाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना आचरण नियमों के विपरीत होने से अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उचित आधार होता है। अपीलांट का कथन कि प्रकरण वर्ष 2013 का है और अपीलांट को आरोप पत्र वर्ष 2014 में दिया गया है यह कथन आंशिक स्वीकार है क्योंकि इससे पूर्व प्रकरण में प्रारम्भिक जांच करवाई गई है तथा प्रारम्भिक जांच के पश्चात गुणावगुण पर विभागीय जांच प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्राथमिक जांच रिपोर्ट के संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट ने यह कथन किया कि उसकी व्यक्तिगत सुनवाई नहीं की गई अस्वीकार है। अपीलांट स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसकी व्यक्तिगत सुनवाई की गई हैं अपीलांट द्वारा जो न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किया गया है वो हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि अपीलांट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपने लिखित अभिकथन में वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त न तो कोई नया तथ्य प्रस्तुत किया गया और न ही साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। प्राथमिक जांच के साथ प्राप्त विभिन्न कार्मिकों के बयान में सुखराम का व्यवहार अच्छा अवश्य बताया गया है किन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कार्मिक द्वारा नायब तहसीलदार के साथ अभद्र

व्यवहार नहीं किया गया है। चूंकि कार्मिक द्वारा तहसीलदार की उपस्थिति में अभद्र व्यवहार किया गया है तथा अपीलांट द्वारा सुनवाई के दौरान अपने पक्ष में न तो कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया गया और न ही किसी स्वतंत्र साक्ष्यी के कोई शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किये गये है। प्राथमिक जांच में जांच अधिकारी द्वारा स्वतंत्र गवाहान के बयान लिये जाकर विस्तृत जांच के उपरान्त अपना निष्कर्ष देते हुए जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश में मात्र जांच प्रतिवेदन के आधार पर काई निर्णय नहीं लिया गया है अपितु अपीलांट की पूर्ण सुनवाई की जाकर प्रकरण पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय किया गया है। अपीलांट का कथन कि तहसीलदार कार्मिक को कार्यमुक्त करने हेतु सक्षम नहीं है अपीलांट का कथन अस्वीकार है क्योंकि तहसीलदार कार्यालयाध्यक्ष होने के कारण अपने अधिनस्थ कार्मिक को कार्यमुक्त करने हेतु सक्षम है। जांच कार्यवाही के दौरान अपीलांट द्वारा अपने पद के अनुरूप चार्ज देने संबंधी कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि कार्मिक को उसके पद के अनुरूप चार्ज नहीं दिया गया था तो कार्मिक द्वारा अपने उच्चाधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए था किन्तु कार्मिक द्वारा इस कार्यालय के समक्ष ऐसा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने से इस तथ्य को बल मिलता है कि अपीलांट अब नये सिरे से नये तथ्य उठाना चाहता है। उपरोक्त आधार पर अपीलांट की अपील आधारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जावे।

मैंने अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, नागौर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, डेगाना जांच अधिकारी ने केवल मात्र तहसीलदार डेगाना के पत्र के आधार पर अपीलार्थी को दोषी माना है और जिला कलक्टर, नागौर द्वारा भी केवल उपखण्ड अधिकारी, डेगाना की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के अनुसार आरोप प्रमाणित होने के कारण आरोप साबित करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया है जो विधिसम्मत नहीं है क्योंकि उप तहसील, सांजू में कार्यरत कार्मिकों में से किसी भी कार्मिक द्वारा श्री सुखराम वरिष्ठ लिपिक सांजू के विरूद्ध कोई विरोधाभास बयान नहीं दिया गया है और उनका व्यवहार व कार्य संतोषजनक बताया गया है साथ ही किसी भी कार्मिक के सामने लड़ाई झगड़े जैसी कोई घटना ही घटित नहीं होना बयानों में उल्लेख किया गया है। केवल मात्र तहसीलदार, डेगाना के द्वारा प्रेषित पत्र एवं नायब तहसीलदार, सांजू द्वारा लिखने मात्र से ही अपचारी कर्मचारी श्री सुखराम पर लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं होते है। नायब तहसीलदर, सांजू द्वारा

आपसी रंजिशवश शिकायत किया जाना प्रतीत होता है। नायब तहसीलदार, सांजू के साथ श्री सुखराम द्वारा कोई र्दुव्यवहार किया हो पत्रावली में ऐसा कोई तथ्य व सबूत उपलब्ध नहीं है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 04–05–2015 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, नागौर का आदेश क्रमांक प–1(सी)(10) संस्था/विजा/ 2014/2222 दिनांक 04–05–2015 निरस्त किया जाता है। अपचारी कर्मचारी को हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में अपने उच्चाधिकारियों के साथ शिष्टाचार एवं शालीनता के साथ व्यवहार करे। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

(हनुमान सहाय मीना),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर